सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 05/2019

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

श्री मोहित अदलखा पुत्र श्री कुन्दन राय अदलखा उम्र 27 वर्ष जाति पंजाबी निवासी ए–43 रिद्धिका नगर बारां **(मौके पर मौजूद मालिक व विक्रेता)** मैसर्स महानन्दा प्रोडक्टस, जनता टॉकिज के पास, बारां।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)

2– श्री मोहित अदलखा (अप्रार्थी स्वंय)

निर्णय दिनांक 22.05.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.07.2018 को मैसर्स महानन्दा प्रोडक्टस, जनता टॉकिज के पास, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री मोहित अदलखा पुत्र श्री कुन्दन राय अदलखा **(मौके पर मौजूद मालिक एवं विकेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 05.07.2018 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** जो 800 ग्राम पैक मे विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विकेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** मे मिलावटी मिथ्याछाप का शक होने पर विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** 800 ग्राम की 03 पॉलिपेक थैली को खोलकर साफ सुखी तपेली में तुलवाकर 02 किलो 400 ग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु अप्रार्थी से खरीदे, जिसकी कीमत श्री मोहित अदलखा पुत्र श्री कुन्दन राय अदलखा **(मालिक एवं विक्रेता)** को 90/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन श्री रामवतार व श्री कुन्दन राम अदलखा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** 02 कि0 400 ग्रा0 को चार नमूना भाग में अलग–अलग कर खाली साफ एवं सूखे प्लास्टिक के डिब्बे में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–832 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 मय खाली पॉलीपैक के कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारॉ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच–832 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मोहित अदलखा पुत्र श्री कुन्दन राय अदलखा **(मालिक एवं विक्रेता)** ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 06 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 06 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/143 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 405/FSSA/Kota/Act/2018/436 दिनांक 20.07.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Baranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु अप्रार्थी से फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना रजि0 पत्र द्वारा चाही गई। अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिउत्तर कार्यालय में पेश नही किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 06.03.2019 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** का विक्रय किया जा रहा है, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Baranded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अप्रार्थी को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 405/FSSA/Kota/Act/2018/436 दिनांक 20.07.2018 के बाद खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** का विक्रय किया जाता था। जिसमे मेरे द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नही की गई। किन्तु लगतार बाजार उतार चडाव के कारण मे काफी नुकसान मे रहा ओर अन्त मे मेरे द्वारा उक्त कार्य बन्द कर दिया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

हमने प्रकरण मे प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) एवं अप्रार्थी की उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Baranded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्राथी उक्त जर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)